



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND  
Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्राक - 955 / 02 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 17 / 10 / 2022

**"कार्यालय ज्ञाप"**

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के कम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र०<br>स० | नाम                      | पदनाम                   | वर्तमान खण्ड                                      | स्थानान्तरित तैनाती खण्ड                          | टिप्पणी                                                          |
|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                        | 3                       | 4                                                 | 5                                                 | 6                                                                |
| 1.         | श्री नरेन्द्र सिंह रावत  | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी (चिन्यालीसौड़) | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी              | अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2.         | श्री अरुण प्रकाश नौटियाल | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी              | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी (चिन्यालीसौड़) |                                                                  |

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2/10

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, 06वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, .....
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी (चिन्यालीसौड़)।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

17/10/2022  
14.10.2022  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
26/09/22



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक -955 / 02 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 17 / 10 / 2022

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र०<br>स० | नाम                | पदनाम                      | वर्तमान खण्ड                        | स्थानान्तरित तैनाती खण्ड            | टिप्पणी                                                          |
|------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                  | 3                          | 4                                   | 5                                   | 6                                                                |
| 1.         | श्रीमती पूनम बिष्ट | अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत  | रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी | अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2.         | श्री पंकज कुमार    | अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) | रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत  |                                                                  |

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह/०

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/देहरादून।
- अधीक्षक अभियन्ता, प्रथम/रा0मार्ग वृत्त लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, .....।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
- अधिशाली अभियन्ता, रा0मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

16/10/2022

26/09/22



पत्राक -952/02 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 15/10/2022

"कार्यालय ज्ञाप"

श्री मौ0 इकराम, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र में उल्लेखित विवरण के दृष्टिगत श्री मौ0 इकराम, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को प्रशासनिक आधार पर उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडिहाट में तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हृ0/-  
(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, .....।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडिहाट/लक्सर।
6. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. सम्बन्धित कर्मिक।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

14/10/2022  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  


पत्राक - 711 / 02 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 17 / 10 / 2022

### "कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के कम में सम्यक् विचारोपरांत स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र०<br>स० | नाम                    | पदनाम                      | वर्तमान खण्ड                        | स्थानान्तरित तैनाती खण्ड            | टिप्पणी                                                          |
|------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                      | 3                          | 4                                   | 5                                   | 6                                                                |
| 1.         | श्री सन्तोष कुमार      | अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) | रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत   | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर | अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2.         | श्री भारत नन्दन पाण्डे | अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर | रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत   |                                                                  |

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ/रा0मार्ग वृत्त लोक निर्माण विभाग, उधमसिंहनगर (रुद्रपुर)/हल्द्वानी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, .....
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, रा0मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

14/10/2022

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

26/09/22



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्राक - 695 / 02 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 17/10/2022

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के कम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र०<br>स० | नाम                       | पदनाम                             | वर्तमान खण्ड                                  | स्थानान्तरित तैनाती खण्ड                      | टिप्पणी                                                                |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                         | 3                                 | 4                                             | 5                                             | 6                                                                      |
| 1.         | श्री करनदेव               | कनिष्ठ अभियन्ता<br>(प्राविधिक)    | विभागाध्यक्ष कार्यालय,<br>लो0नि0वि0, देहरादून | प्रान्तीय खण्ड,<br>लो0नि0वि0, उत्तरकाशी       | अधिनियम की धारा 18<br>(3) एवं (5) के अन्तर्गत<br>पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2.         | श्री सुशील<br>कुमार कुरील | अपर सहायक<br>अभियन्ता (प्राविधिक) | प्रान्तीय खण्ड,<br>लो0नि0वि0, उत्तरकाशी       | विभागाध्यक्ष कार्यालय,<br>लो0नि0वि0, देहरादून |                                                                        |

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह/0

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, .....।
- अधिशाली अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
- अधिशाली अभियन्ता (नियोजन-.....), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

MRD  
14/10/2022

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

26/09/22

पत्राक - 669 / 02 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 17/10/2022

### "कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र०<br>स० | नाम              | पदनाम                         | वर्तमान खण्ड                            | स्थानान्तरित तैनाती खण्ड                | टिप्पणी                                                                |
|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                | 3                             | 4                                       | 5                                       | 6                                                                      |
| 1.         | श्री प्रदीप ममगई | अपर सहायक<br>अभियन्ता (सिविल) | निर्माण खण्ड,<br>लो0नि0वि0, दुगड्डा     | प्रान्तीय खण्ड,<br>लो0नि0वि0, लैन्सडाउन | अधिनियम की धारा 18<br>(3) एवं (5) के अन्तर्गत<br>पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2.         | कु० शालू वर्मा   | अपर सहायक<br>अभियन्ता (सिविल) | प्रान्तीय खण्ड,<br>लो0नि0वि0, लैन्सडाउन | निर्माण खण्ड,<br>लो0नि0वि0, दुगड्डा     |                                                                        |

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

H10

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, .....
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाउन।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

14.10.2022  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
26/09/22